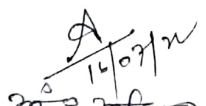


आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
१	२	३
16.7.2022	उपायुक्त, चण्डिका के आदेश जापान 983/राठ दिनांक 05.07.2022 के आदेशों में लावालों में अंचल अंतर्गत राजस्थान के राजस्व विवर का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अनुसूक्त पादक राजस्थान के राज्य दिने जल आवेदन में खारा सं०-107 रकबा 0.744 ए० अ० पर पूर्व में मृगु महलों, भीम महलों के नाम से पचावेंदी कागज का वही 1975-76 तक वसिद निगल दिया गया जिस वदलक मयुता महलों को के नाम से आवेदन वसिद निगल दिया जा रहा है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान के आवेदन पंजीय के दृष्ट सं० 90/ पर खारा सं०-107 रकबा 0.744 ए० अ० की पचावेंदी मयुता महलों को निगल निरगु महलों के नाम से कागज है। अतः संबंधित पत्रों को नोटिस के माध्यम से राजस्व दस कागजातों की मांग करें। अभिलेख दिनांक 22/8/2022 को उपस्थापित करें।  अ० अ० अ० लावालों।	
22/8/2022	अभिलेख उपस्थापित। उप पत्र को अ० ले संबंधित राजस्व कागजात की मांग की गई। लेकिन इसके द्वारा भी भी अ० की राजस्व कागजात उपस्थापित नहीं कराया गया। दुर्ग नोटिस नोटिस करें। अभिलेख दिनांक-	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
१	२	३
	08/9/2022 को उपस्थित करें। १२/१०/२२ अं० अधिकारी लोकार्थी/१२।	
8/9/2022	अभिसेव उपस्थित। उमय पत्र अनुपस्थित। पुनः कंठिक हय से वापस आगमन की मांग को/अभिसेव दिनांक 13/10/2022 को उपस्थित करें। १३/१०/२२ अं० अधिकारी लोकार्थी/१२।	
13/10/2022	अभिसेव उपस्थित। उमय पत्र अनुपस्थित। लगातार नोटिस निगलने के कारण उमय पत्र के द्वारा किसी भी प्रकार का समझ कोषान अधोहस्ताक्षरी के समझ प्रत्यक्ष होकर नहीं प्रत्यक्ष किया गया अतः अभिसेव की कार्यवाही होना किया जाता है। <u>समाप्त</u> १३/१०/२२ अं० अधिकारी लोकार्थी/१२।	